संख्या-5/2022/160516/2022/77-1-2022/001-549-02बजट-15

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2022

विषयः- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप) लखनऊ के कर्मियो के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान) मे व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2020, दिनांक 30.12.2021 में जारी निर्देशो के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ के कर्मियो के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान) के प्रथम चार माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022) के लिए आय-व्ययक में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-10,00,000.00 (रूपया दस लाख मात्र) का एक तिहाई अर्थात रू0-3,33,000.00 (रूपया तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-1,52,60,000.00 (एक करोड बावन लाख साठ हजार मात्र) का एक तिहाई अर्थात रू0-50,86,000.00 (रूपया पचास लाख छियासी हजार मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	**मानक मद**	**प्रयोजन**	**बजट प्रावधान (रू0)**	**व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (रू0)**
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रख-रखाव संचालन आदि	10,00,000.00	3,33,000.00
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	कार्मिकों के वेतनादि	1,52,60,000.00	50,86,000.00
		योगः	**1,62,60,000.00**	**54,19,000.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

2. इस संस्थान के कर्मियों के वेतन हेतु नियमानुसार तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

3. प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.12.2021 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2885608001800 इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 50,86,000 (रुपये पचास लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2885608001800 इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) **मानक मद** 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-5/2022/160516/2022/77-1-2022/001-549-02बजट-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

5- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु0-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।